न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 44 /2025 दायर तारीख :– 09.04.2025

महावीर प्रसाद कुमावत पुत्र स्व0रामदेव जाति कुमावत निवासी खादूवालो की ढाणी पचार रोड मिश्रा वाली कोठी, कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0 ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियेः– तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल
2. बंशीधर पुत्र स्व0 रामदेव
3. रमेश पुत्र स्व0 रामदेव
4. सुरजी देवी पत्नी स्व0 रामदेव

समस्त जाति कुमावत निवासीयान खादूवालो की ढाणी पचार रोड मिश्रा वाली कोठी, कि0 रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा व नाम दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी

उपस्थित :– श्री लक्ष्मणसिंह अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 18/06/25

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 481 की आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 3.4015 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 167 रकाब 0.0632 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.5427 हैक्टैयर , खसरा नम्बर 169 रकबा 16.3879 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 21.3953 हैक्टैयर वाके ग्राम रेनवाल, प0ह0 रेनवाल भू0अ0नि0 रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/180 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अंकित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 04 स्वर्गीय रामदेव के कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है जिनका सिजरा वाद पत्र में वर्णित है। वादी के पिता रामदेव की मृत्यु दिनांक 21.07.88 को हो गई थी।तब वादी नाबालिग था वादी को बचपन में घर पर गिरधारी के नाम से पुकारते थे। परन्तु वादी का सही वास्तविक नाम महावीर प्रसाद कुमावत है वादी की माता अनपढ व ग्रामीण परिवेश की महिला थी। जिसके कारण जब वादी के पिता स्व0 रामदेव की विरासत का नामान्तकरण वाद पत्र के मद नमबर 1 मे वर्णित आराजीयात का वादी के नाम से खोला गया तब वादी का घर पर बोलचाल का नाम गिरधारी के विरासत के नामांतकरण में दर्ज कर दिया गया जिसके कारण वादी का नाम उक्त खातेदारी में गिरधारी सहवन से अंकित किया हुआ है । जबकि वादी को ही गिरधारी व महावीर प्रसाद कुमावत दोनो नाम से जाना व पहचाना जाता है। जो एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता स्व0 रामदेव के वादी के अलावा गिरधारी नाम का अन्य दूसरा कोई पुत्र नहीं है वादी को ही गिरधारी नाम से बचपन में पुकारते थे किन्तु वादी का सही नाम महावीर प्रसाद कुमावत है इस प्रकार उपरोक्त दोनो नाम वादी से ही सम्बन्धित है जो एक ही व्यक्ति है वादी के राशनकार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक रिकोर्ड, सभी में वादी का महावीर प्रसाद कुमावत ही अंकित किया हुआ है। लेकिन वादी की उक्त खातेदारी वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम गिरधारी पुत्र रामदेव अंकित होने से वादी को अपनी भूमि को उन्नत विकसित करने में भारी परेशानी होती है। वादी को अपने नाम में हुई गलती की पूर्व में जानकारी नहीं थी जब वादी को अपनी उक्त खातेदारी में उसका बचपन में घर का बोलचाल का नाम गिरधारी सहवन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

से दर्ज होने की जानकारी हुई तो वादी ने पटवारी हल्का से कई बार सम्पर्क किया तो उन्होने वादी को नाम दुरूस्ती किये जाने का आश्वासन दे दिया था। जिसके वादी उनके आश्वासन दे दिया था। जिसके वादी उनके आश्वासन में रहा है किन्तु वादी के नाम दुरूस्ती नहीं की गई वादी ने वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम गिरधारी की जगह महावीर प्रसाद कुमावत अंकित करने के लिए पटवारी हल्का व तहसीलदार रेनवाल से दिनांक 19.08.2020 को निवेदन किया जो उनके द्वारा वादी को न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा इसलिए यह वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती नाम इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 4 की तलबी रिस्टोर पत्रावली में करवायी गई जिसमें बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतःइनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से जवाब प्राप्त होकर पूर्व से शामिल मिसल किया गया ।

तनकीयात कायम की गई

1. आया आराजी खसरा नम्बर 165,167,168,169 कुल किता 4 कुल रकबा 21.3953 हैक्टैयर वाके ग्राम रेनवाल प0ह0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादी का 1/180 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अंकित है।

वादी

2. आया वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में वादी के नाम गिरधारी पुत्र स्व रामदेव अंकित किया गया है उसको दुरूस्त कर महावरी प्रसाद पुत्र रामदेव अंकित करवाने का अधिकारी है तथा उसके दर्ज हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। इसी आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

3. आया डिक्री की अनुपालना में राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करवाये जाने का अधिकारी है।

वादी

4. अनुतोष

3. वादी अधिवक्ता के द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी की नकल , नक्शा की प्रतिलिपि, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, राशन कार्ड की प्रतिलिपि, नगरपालिका मण्डल का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, महावीर प्रसाद की अंकतालिका की प्रतिलिपि पेश की व गवाह में रामप्रसाद , महावीर प्रसाद ,बंशीधर कुमावत के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध कराये ।

4. बहस वकील पक्षकारान की सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खाता संख्या 481 की आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 3.4015 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 167 रकाब 0.0632 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.5427 हैक्टैयर , खसरा नम्बर 169 रकबा 16.3879 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 21.3953 हैक्टैयर वाके ग्राम रेनवाल, प0ह0 रेनवाल भू0अ0नि0 रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/180 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अंकित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 04 स्वर्गीय रामदेव के कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है जिनका सिजरा वाद पत्र में वर्णित है। वादी के पिता रामदेव की मृत्यु दिनांक 21.07.88 को हो गई थी।तब वादी नाबालिग था वादी को बचपन में घर पर गिरधारी के नाम से पुकारते थे। परन्तु वादी का सही वास्तविक नाम महावीर प्रसाद कुमावत है वादी की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

माता अनपढ व ग्रामीण परिवेश की महिला थी। जिसके कारण जब वादी के पिता स्व0 रामदेव की विरासत का नामान्तकरण वाद पत्र के मद नमबर 1 मे वर्णित आराजीयात का वादी के नाम से खोला गया तब वादी का घर पर बोलचाल का नाम गिरधारी के विरासत के नामांतकरण में दर्ज कर दिया गया जिसके कारण वादी का नाम उक्त खातेदारी में गिरधारी सहवन से अंकित किया हुआ है । जबकि वादी को ही गिरधारी व महावीर प्रसाद कुमावत दोनो नाम से जाना व पहचाना जाता है। जो एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता स्व0 रामदेव के वादी के अलावा गिरधारी नाम का अन्य दूसरा कोई पुत्र नहीं है वादी को ही गिरधारी नाम से बचपन में पुकारते थे किन्तु वादी का सही नाम महावीर प्रसाद कुमावत है इस प्रकार उपरोक्त दोनो नाम वादी से ही सम्बन्धित है जो एक ही व्यक्ति है वादी के राशनकार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक रिकोर्ड, सभी में वादी का महावीर प्रसाद कुमावत ही अंकित किया हुआ है। लेकिन वादी की उक्त खातेदारी वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम गिरधारी पुत्र रामदेव अंकित होने से वादी को अपनी भूमि को उन्नत विकसित करने में भारी परेशानी होती है। वादी को अपने नाम में हुई गलती की पूर्व में जानकारी नहीं थी जब वादी को अपनी उक्त खातेदारी में उसका बचपन में घर का बोलचाल का नाम गिरधारी सहवन से दर्ज होने की जानकारी हुई तो वादी ने पटवारी हल्का से कई बार सम्पर्क किया तो उन्होने वादी को नाम दुरूस्ती किये जाने का आश्वासन दे दिया था। जिसके वादी उनके आश्वासन दे दिया था। जिसके वादी उनके आश्वासन में रहा है किन्तु वादी के नाम दुरूस्ती नहीं की गई वादी ने वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम गिरधारी की जगह महावीर प्रसाद कुमावत अंकित करने के लिए पटवारी हल्का व तहसीलदार रेनवाल से दिनांक 19.08.2020 को निवेदन किया जो उनके द्वारा वादी को न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा इसलिए यह वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती नाम इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। उक्त के अवलोकन के आधार पर खसरा नम्बर 165,167,168,169, वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल जिसमें वादी के द्वारा जो अपना हिस्सा 1/180 बताया गया है। जिसमें वादी का नाम गिरधारी पुत्र स्व0 रामदेव अंकित किया हुआ है। उसको दुरूस्त कर महावीर प्रसाद कुमावत पुत्र स्व0 रामदेव अंकित किया जाकर वादी को उक्त आराजीयात में उसके दर्ज हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि खसरा नम्बर 165,167,168,169, वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल जिसमें वादी के द्वारा जो अपना हिस्सा 1/180 बताया जिसमें वादी का नाम गिरधारी पुत्र स्व0 रामदेव अंकित किया हुआ है। उसको दुरूस्त कर महावीर प्रसाद कुमावत पुत्र स्व0 रामदेव अंकित किया जाकर वादी को उक्त आराजीयात में उसके दर्ज हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश प्रदान किये जाते है। इस हेतु तहरीर तह0 किशनगढ रेनवाल को जारी हो। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। निर्णय दिनांक 18/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल
सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बइजलास :– सुनिता मीणा आर.ए.एस.

महावीर प्रसाद कुमावत पुत्र स्व0रामदेव जाति कुमावत निवासी खादूवालो की ढाणी पचार रोड मिश्रा वाली कोठी, कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0 ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियेः– तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल
2. बंशीधर पुत्र स्व0 रामदेव
3. रमेश पुत्र स्व0 रामदेव
4. सुरजी देवी पत्नी स्व0 रामदेव

समस्त जाति कुमावत निवासीयान खादूवालो की ढाणी पचार रोड मिश्रा वाली कोठी, कि0 रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा व नाम दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी

वाद संख्या 44/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मण सिंह खगांरोत व हाजरी ..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि खसरा नम्बर 165,167,168,169, वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल जिसमें वादी के द्वारा जो अपना हिस्सा 1/180 बताया जिसमें वादी का नाम गिरधारी पुत्र स्व0 रामदेव अंकित किया हुआ है। उसको दुरूस्त कर महावीर प्रसाद कुमावत पुत्र स्व0 रामदेव अंकित किया जाकर वादी को उक्त आराजीयात में उसके दर्ज हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–. .....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनिता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल